

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग

क्रमांक: प. 4(1)साप्र/5/14

जयपुर, दिनांक: 17/9/2014


आज्ञा

ट्रांजिट होस्टल, जयपुर का आवंटन इस विभाग के दिशा-निर्देश संख्या एफ. 7(2)साप्र/5/06 दिनांक 27.10.06 में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सामने अंकित आवास एक वर्ष की अवधि के लिए या नियमित आवास उपलब्ध होने तक जो भी पूर्व हो, तक के लिए निम्नांकित शर्तों पर अस्थाई रूप से आवंटित किया जाता है :-

1. आवंटित आवास अस्थाई आवास है, जिसका कब्जा एक सप्ताह में प्राप्त करना होगा।
2. संबंधित अधिकारी को नियमानुसार किराया भत्ता देय नहीं होगा।
3. संबंधित अधिकारी से आवास के पेटे नियमानुसार किराया राशि अग्रिम वसूली प्रबन्धक, ट्रांजिट होस्टल, जयपुर द्वारा की जावेगी।
4. संबंधित अधिकारी के विरुद्ध ट्रांजिट होस्टल, जयपुर की पूर्व की कोई राशि बकाया हो तो कब्जा देने से पूर्व वसूल कर ली जावे।
5. ट्रांजिट होस्टल के आवास में रहने वाले प्रत्येक अधिकारी को मूल वेतन का प्रमाण-पत्र प्रबन्धक, ट्रांजिट होस्टल को प्रस्तुत करना होगा।
6. स्थानान्तरण/सेवानिवृत्ति की सूचना संबंधित अधिकारी द्वारा प्रबन्धक ट्रांजिट होस्टल, जयपुर को तुरन्त दी जाएगी तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह में आवास रिक्त करना होगा।
7. समय-समय पर इस विभाग द्वारा निर्धारित अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

क्रमांक	अधिकारी का नाम	वरीयता संख्या	ग्रेड पे	आवंटित आवास संख्या
1	डा० मनोज कुमार, चिकित्सा अधिकारी, फोरेन्सिक मेडीसिन विभाग, एस.एम.एस. अस्पताल, जयपुर।	43/2013	5400/-	क्वाटर 18 ओ.टी.एच. के स्थान पर क्वाटर संख्या 2 ओ.टी.एच. का परिवर्तन
2	डॉ. देवेन्द्र सिंह, सीएस रेजी, चिकित्सा अधिकारी, अस्थि रोग विभाग एस.एम.एस. अस्पताल, जयपुर।	45/2013	5400/-	क्वाटर 18 ओ.टी.एच. गांधीनगर, जयपुर।


राज्यपाल की आज्ञा से

  
17/9/14

(मुन्नालाल शर्मा)  
शासन सहायक सचिव

**प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-**

1. संबंधित अधिकारी को भेजकर लेख है कि उनको आवंटित आवास का कब्जा एक सप्ताह तक प्राप्त कर विभाग को अवगत करावें । निर्धारित तिथि के पश्चात् रिक्त आवास को अन्य प्रतीक्षारत अधिकारी को आवंटित कर दिया जायेगा ।
2. प्रबन्धक, ट्रांजिट होस्टल, जयपुर कृपया आवास का कब्जा देने से पूर्व विभागाध्यक्ष द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त करें कि आवंटी आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की तिथि से अब तक उनके विभाग में जयपुर में ही पदस्थापित है ।।
3. संबंधित विभागाध्यक्ष ।
4. कोषाधिकारी, सचिवालय / कोषाधिकारी, शहर, जयपुर ।
5. डा0 मनोज कुमार, चिकित्सा अधिकारी को भेजकर लेख है कि क्वाटर 18 ओ.टी.एच. कृपया तत्काल परिवर्तित आवास का कब्जा प्राप्त करें तथा पूर्व में आवंटित आवास को तीन दिवस में रिक्त करें ।
6. डा0 देवेन्द्र सिंह, सीएएस रेजी, चिकित्सा अधिकारी, कृपया उक्त आवास आवंटी द्वारा रिक्त करने की तिथि से आठ दिवस की अवधि में कब्जा प्राप्त करें ।
7. सहायक शासन सचिव, सा0 प्र0(ग्रुप-2) विभाग आवंटी को वरियतानुसार नियमित आवास आवंटित करवाकर अवगत करावें ।
8. सहायक प्रोग्रामर, सा.प्र.वि. कृपया आवंटन पत्र एवं वरीयता सूची वेबसाइट पर डालें ।
9. रक्षित पत्रावली ।

  
शासन सहायक सचिव 17/9/14